

प्रेषक

निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा ।

सेवा में

1. प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इंचार्ज,
सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा राज्य में ।
2. प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापिका,
सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान(महिला) हरियाणा राज्य में ।
3. प्रधानाचार्य प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मूक एव बधिर कल्याण केन्द्र, गुडगांव ।

क0 न0 टी-1/दाखिला/2011-12 दिनांक :- 7.6.2011

विषय:- दाखिला सत्र 2011-12 में दाखिला हेतु सीट रीलीज ।


उपरोक्त विषय के संदर्भ में ।

निदेशालय द्वारा सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), सी0ओ0ई तथा सभी प्राईवेट औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में सत्र 2011-12 का दाखिला करने बारे सीट रीलीज कर दी गई है आपके संस्थान की सीट रीलीज की प्रति सलंगन करके भेजी जा रही है। आप इसके अनुसार अपने संस्थान में दाखिला करवाए तथा सीट रीलीज में यदि निम्न बिन्दुओं बारे कोई भी संशोधन करवाना है अथवा सीट रीलीज में अन्य कोई कमी लगती है तो उसे दिनांक 20.6.11 तक अपनी टिप्पणी सहित निदेशालय में कमी को दूर करने हेतु दस्ती भेजे।

1. यदि कोई व्यवसाय NCVT अथवा SCVT के तहत ठीक नहीं दर्शाया गया है
2. यदि कोई व्यवसाय वर्ष अनुसार ठीक नहीं दर्शाया गया है ।
3. यदि SCST छात्रों के लिए कोई व्यवसाय ठीक नहीं दर्शाया गया है।
4. यदि कोई व्यवसाय PPP/VTIP में नहीं दर्शाया गया है अथवा गलत दर्शाया गया हो।
5. यदि कोई व्यवसाय फालतू दर्शाया गया है अथवा कोई व्यवसाय दर्शाने से छूट गया है इत्यादि।

यदि आप द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर संशोधन हेतु कोई सूचना निदेशालय पर नहीं भेजी गई तो जारी की गई सीट रीलीज ठीक समझी जाएगी और यदि बाद में कोई त्रुटि पाई जाती है तो इसके लिए संस्थान कार्यालय ही जिम्मेवार होगा तथा निदेशालय की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। सीट रीलीज की पूर्ण प्रति विभागीय वैबसाईड www.itiharyana.gov.in पर भी उपलब्ध है।

सलंगन: उपरोक्त अनुसार




सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)

कृते: निदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,

हरियाणा ।

उपरोक्त पत्र की एक प्रति सीट रीलीज की पूर्ण प्रति सहित को भेजी जाती है

1. जिला स्तर की मुख्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों को केन्द्रियकृत दाखिले के लिए भेजी जाती है तथा निर्देश दिए जाते हैं कि यदि आपको आपके जिले में किसी भी संस्थान की सीट रीलीज में कोई कमी लगती है व यदि उपरोक्त बिन्दुओं बारे सीट रीलीज में कोई भी संशोधन करवाना है तो निदेशालय से तुरन्त करवा लें अन्यथा निदेशालय की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
2. अतिरिक्त निदेशक(तकनीकी), सयुक्त निदेशक (प्रशासन), सयुक्त निदेशक(प्रोजेक्ट), नियन्त्रक परीक्षा, सयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट), उप-निदेशक(मशीनरी), उप निदेशक (प्रशासन -II, III.), उप निदेशक (प्रशासन -1 व 4), सहायक निदेशक(प्रशासन -4), सहायक निदेशक (योजना), सहायक निदेशक (तालमेल), सहायक निदेशक (प्रशि0-1, II, 4 व 5) सहायक निदेशक(प्रमाणपत्र), सहायक निदेशक महिला को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।
3. निजी सचिव टू निदेशक ।



सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)

कृते: निदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा ।

